न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08 / 2024

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र हरसुख जाति खाती साकिन मेघाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जयसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उपं पजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. पटवारी हल्का मेघाना।
5. गिरदावर भू अभिलेख क्षेत्र मेघाना।
6. प्रभूसिंह राठौड़ पुत्र मानसिह राठौड़ जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– गैरसायालान

अवमानना याचिका अन्तर्गत
आदेश 39 नियम 2(क) सीपीसी

उपस्थिति :– 1. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

दिनांकः 26/03/2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 121 के ख0न0 323/2 की 6.5520 हैक्ट, ख0न0 323/3 की 2.1500 हैक्ट, ख0न0 327 की 0.9880 हैक्ट कुल 8.6880 हैक्ट भूमि में से 923/8688 हिस्सा भूमि सायल के व 215/4344 हिस्साा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा मेघाना में सायल का गांव खरसण्डी दर्ज हो गया जो वर वक्ता ऑनलाईन करते समय हुआ जिसे सायल संशोधित करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–78 के खाता स0 121 की कुल 8.6880 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है गैर संख्या 1 तेज तर्रार व्यक्ति है। वाद भूमि सयुंक्त दर्ज होने के कारण पक्षकारान का आपस में कब्जा काश्त व सींव डोल को लेकर झगड़ा रहता है। गैरसायल स0 1 सायल के कब्जा की भूमि ख0न0 327 में जबरिया कब्जा करके प्लॉट काट कर निर्माण करने की फिराक में था। इस बाबत सायल ने एक वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया की अप्रार्थीगण रोही मौजा मेघाना के खाता स0 121 की कुल 8.6880 हैक्ट भूमि का जब तक विभाजन न हो तब निर्माण न करे, प्लॉट न काटे व विशेष हिस्से का बेचान न करे। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 22.04.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि ताफैसला दावा उक्त वाद भूमि के विशेष हिस्से का बेचान न करे एवं सक्षम अधिकारी की [illegible] करे। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी गैरसायल स0 1 ने वादग्रस्त भूमि को [illegible] दी तथा स्टे के बावजूद खरीददार के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया [illegible] दिनांक 18.04.2022 को स्वीकृत किया गया था उक्त वाद भूमि पर आज भी स्थगन [illegible] प्रभावी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल स0 2 ता 5 राजस्व कर्मचारी सक्षम कोर्ट के स्टे के आदेश को न मानकर मातहत अदालत की तोहन की गई है माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 अंतरिम स्थगन आदेश एवं दिनांक 18.04.2022 को कन्फर्म स्थगन आदेश की अप्रार्थी द्वारा अवहेलना की गई है। अतः अवमानना याचिका सायल प्रार्थी की तरफ से पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को अदालत के निर्णय दिनांक 22.04.2022 की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए कैद दीवानी भेजे जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की पक्षकारान अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त भूमि पर काबिज है। उत्तरदाता द्वारा प्लॉट काट कर नही बेचे जा रहे है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.04.2022 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.02.2024 को खारिज किया जा चुका है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के विचाराधीन अपील में माननीय न्यायालय द्वारा दो माह में निर्णय पारित करने हेतु आदेश पारित किया गया है इसके अतिरिक्त अनवान धर्मपाल बनाम जयसिंह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 20.11.2023 को पारित किया गया है जिसमें निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2022 व दिनांक 17.04.2017 तथा वाद पत्र स0 169/2012 निरस्त किये गये है। प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त तथ्य छुपाये गये है प्रार्थी न्यायालय हाजा में क्लीन हैण्ड नही आये है। अनवानी धर्मपाल बनाम जयसिंह आदि बैयनामा दिनांक 05.07.2022 को अकृत शुन्य व प्रभावहीन घोषित व निरस्त करवाने हेतु माननी अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीश नोहर के वाद जैरकार है। प्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 2308 दिनांक 18.04.2022 गलत दर्ज किया गया है उक्त नामान्तरण 2569 दिनांक 19.02.2024 को स्वीकृत हुआ है एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.02.2024 को उक्त स्थगन निरस्त कर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा अदालत के किसी आदेश की अवहेलना नही कि गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायल ने एक वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया की अप्रार्थीगण रोही मौजा मेघाना के खाता स0 121 की कुल 8.6880 हैक्ट भूमि का जब तक विभाजन न हो तब निर्माण न करे, प्लॉट न काटे व विशेष हिस्से का बेचान न करे। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 22.04.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि ताफैसला दावा उक्त वाद भूमि के विशेष हिस्से का बेचान न करे एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण न करे। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी गैरसायल स0 1 ने वादग्रस्त भूमि को फरोख्त कर दी तथा स्टे के बावजूद खरीददार के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया जबकि नामान्तरण संख्या 2308 दिनांक 18.04.2022 को स्वीकृत किया गया था उक्त वाद भूमि पर आज भी स्थगन आदेश प्रभावी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा की अवमानना के लिए अप्रार्थीगण को दोष सिद्ध किया जाकर उन्हें सख्त सिविल कारावास से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:08 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की पक्षकारान अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त भूमि पर काबिज है। उत्तरदाता द्वारा प्लॉट काट कर नही बेचे जा रहे है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.04.2022 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.02.2024 को खारिज किया जा चुका है एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के बिचाराधीन अपील में माननीय न्यायालय द्वारा दो माह में निर्णय पारित करने हेतु आदेश पारित किया गया है इसके अतिरिक्त अनवान धर्मपाल बनाम जयसिंह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 20.11.2023 को पारित किया गया है जिसमें निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2022 व दिनांक 17.04.2017 तथा वाद पत्र स0 169/2012 निरस्त किये गये है। प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त तथ्य छुपाये गये है प्रार्थी न्यायालय हाजा में क्लीन हैण्ड नही आये है। अनवानी धर्मपाल बनाम जयसिंह आदि बैयनामा दिनांक 05.07.2022 को अकृत शुन्य व प्रभावहीन घोषित व निरस्त करवाने हेतु माननी अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीश नोहर के वाद जैरकार है। प्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 2308 दिनांक 18.04.2022 गलत दर्ज किया गया है उक्त नामान्तरण 2569 दिनांक 19.02.2024 को स्वीकृत हुआ है एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.02.2024 को उक्त स्थगन निरस्त कर दिया गया है। माननीया न्यायालय द्वारा विशेष हिस्से के बेचान व कृषि भूमि को अकृषि भूमि में उपयोग न करने हेतु पाबन्द किया गया था जबकि अप्रार्थी द्वारा न तो विशेष हिस्से का बेचान किया गया है एवं न ही कृषि भूमि को अकृषि हेतु उपयोग में लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा अदालत के किसी आदेश की अवहेलना नही कि गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि बाबत दिनांक 22.11.2021 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं दिनांक 18.04.2022 को स्थगन आदेश कन्फर्म किया गया एवं उभयपक्षों को पाबन्द किया गया की सायल व गैरसायलान वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान/कृषि भूमि का अकृषि में सक्षम अधिकारी की अनुमति प्रयोग ताफैसला दावा नही करे। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भूमि का बैचान किया गया है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे साबित हो कि अप्रार्थी द्वारा विशेष हिस्से का बेचान या कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है क्योंकि न्यायालय द्वारा विशेष हिस्से का बेचान/कृषि भूमि का अकृषि उपयोग न करने हेतु पाबन्द किया गया था। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा भूमि का बेचान किया गया है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि विशेष हिस्से का बेचान नही किया गया है एवं अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना नही की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होने/स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:08 IST
Reason: SelfAttested